

कार्यालय आयुक्त, ज्ञांसी मण्डल, ज्ञांसी।

संख्या—१७५ / 25—जे०ए०—११ (2016—17)

दिनांक : जनवरी १८, 2017

जिला सूचना अधिकारी,
ज्ञांसी।

विषय:- इलाहाबाद—ज्ञांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन—2017 इलाहाबाद—ज्ञांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिभाग हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 17—01—2017 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं :—

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	सैट की संख्या
1	श्री अशोक कुमार राठौर	01
2	श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी (पूर्व विधान परिषद सदस्य)	01
3	श्री रामसेवक त्रिपाठी	04
4	श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	01
5	श्री त्रिवेणी प्रसाद	01

2— नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, जिसमें उनकी सम्पत्ति एवं आपराधिक इतिहास प्ररूप—26 पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक प्रति में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त विवरण को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)

सहायक रिटर्निंग आफीसर,

इलाहाबाद—ज्ञांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /

अपर आयुक्त (प्रशासन),

ज्ञांसी मण्डल, ज्ञांसी।

संख्या—१७६ / 25—जे०ए०—११ (2016—17) तददिनांक।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ज्ञांसी/नोडल आफीसर को आज प्राप्त नामांकन पत्रों के प्ररूप—26 तथा अतिरिक्त शपथ पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि उक्त शपथ पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की वेबसाइट पर स्कैन कराकर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)

सहायक रिटर्निंग आफीसर,

इलाहाबाद—ज्ञांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /

अपर आयुक्त (प्रशासन),

ज्ञांसी मण्डल, ज्ञांसी।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रस्तुप 26

(नियम 4क देखिए)

**“इलाहाबाद-झाँझी” खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए
निर्वाचन-2017**



इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत
किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - ३

मैं, राम सेवक पुत्र/पुत्री/पत्नी वेदांग रूप वर्ष,
 जो ४६ देवरिया, हनुमानगंगा, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
 का /की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अधिकारी सत्यमिष्ठा से प्रतिज्ञा
 करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे **लालू नवीं होता** (राजनीतिक दल का नाम)

~~द्वास खड़ा किया गया~~ / निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव में लड़ रहा

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) २५६ फुलपुर (समाज) उत्तर प्रदेश में
क्रम सं. ६२० पर, भाग सं. १२० में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे ९५०५९१५२५, ९४१५७१७१४९ संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और लागू नहीं होता इ-मेल पता (यदि कोई हो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रथिति के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रस्थिति :

क्रम सं	नाम	पी0ए0एन0(स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रुपए में)
1. स्वयं	ग्रन्थालय	AEYPT0418 B	२०१५- २०१६	७२४८४६ = ००
2. पति या पत्नी	ज्ञानदाता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता
3. आश्रित -1	लागू नदीं होता	ब्लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता
4. आश्रित -2	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता
5. आश्रित -3	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता	लागू नदीं होता

मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ	ज्ञानू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	ज्ञानू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	ज्ञानू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किये हैं।	ज्ञानू नहीं होता
(ङ)	तारीख जिसपर आरोप विरचित किये गये।	ज्ञानू नहीं होता
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	ज्ञानू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लम्बित है, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उपर मद (i)मे लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	ज्ञानू नहीं होता
(ख)	मामलों को द्वौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है/अपराधों की धाराओं और/अपराधों के विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया :	ज्ञानू नहीं होता
(ग)	उपरोक्त संज्ञान के विरुद्ध फाइल की गई अपील के विवरण के लिए आवेदन (आवेदनों) (मानकरी है), के द्वौरे	ज्ञानू नहीं होता

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायलय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है। :


(क)	सम्बन्धित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का व्यारा और अपरोधों वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या, और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) -	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दण्ड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है। यदि हाँ, तो अपील का व्यौरा और वर्तमान प्राप्ति :	बागू नहीं होता

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का व्यौरा यहां नीचे देता हूँ :


क. जंगम सम्पत्तियों का व्यौरा (Details of movable assets):

टिप्पणी:-

1. संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उप दर्शित किया जाना है
2. निक्षेप/विनिधान की दिशा में, क्रम सं०, रकम, निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम संख्या, रकम, निक्षेप की तारीख, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित व्यौरा दिया जाना है।
3. वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध-कंपनियों के वावत स्टाक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।
4. आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।
5. प्रत्येक विनिधान की वावत साक्षित रकम और पृथक रूप से दिया जाना है।



क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	45000/-	8500/-	लगूनरी दौता	बाहुनरी दौता	लगूनरी दौता
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफ०डी०आर०, आवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम।	250135=83	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(iv)	एन०एस०एस०, डाकीय बचत, बीमा पालसियों में विनिधान के ब्यौरे और, डाक विभाग व बीमा कम्पनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीफ के वर्ष और रकम)	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लगूनरी दौता	क्षेत्रला सर्वा ₹ 56000/- लगूनरी	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता
(ix)	सकल कुल मूल्य	84500/-	84500/-	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता	लगूनरी दौता



३. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे (Details of Immovable Assets)

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना
- इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का / के स्थान, सर्वेक्षण संख्याक	५६ डेक्टरी धूमागांव उमरीपुर ३०५०	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२ एकड़	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लगभग १० लाख	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
(ii)	गैर-कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्याक	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा	लागूनदी धूमा
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी
	विकास, निर्माण आदि के रूप भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लगभग १० लाख	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी	लागूनदी



(iii)	<u>वाणिज्यिक भवन</u> (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	<u>आवासीय भवन</u> (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	46 देवी छुआरों इलाहाबाद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	2700 कर्जित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	2500 कर्जित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं 15 लाख /-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे सफरी में हत)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	ऊपर (१) से (४) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य of U.	लागू नहीं 15 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों व्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग व्यौरे दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	<u>सरकार के देय :</u> सरकारी आवास सुविधा से संबंधित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को देय (वायुयान और हेलिकाप्टरों सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आयकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सम्पत्तिकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रीकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सरकारी सभी देयों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विकार ग्रस्त है यदि है तो अंतर्वालित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष सं लंबित है।	O/P 		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
 क. स्वयं उच्चकालीन प्राप्ति अधिकार
 ख. मति/पत्नी गृहिणी

(10) वृत्तीया उप जीविका के ब्यौरे :-
भाग १६।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

वर्ष १९७७-७८ वर्ष १९८० श्रीकाशगढ़ी - श्री सत्त्वा आद्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
ओरेल इलायाकड़ी
(सम्प्राप्ति संस्कृत विद्याविद्यालय वाराणसी) फॉर्म

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमार राम सेवक	
2.	डाक का पूरा पता	५६ देवरेटा ईक्याम्प दुबाटा ५३ (३५३)	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	२५६ कुलठा (लालम) २०५०	
4.	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय- लिखें)	निहिलीय	
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं।	लाख १६।	
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लाख १६।	
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	लाख १६।	
7.	★  R.B.Singh को स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	
	(क) अभ्यर्थी (ख) पत्नी पर्ती (ग) आक्रिति	प्रस्त्रेवक जी डाकघर लाख १६।	दराई गई कुल आय
		AEGPT ०४१०३ लाख १६।	२०१५-२०१६ ७२८८४६-००
		लाख १६।	लाख १६।
		लाख १६।	लाख १६।

8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपए में ब्यौरे					
	विवरण	स्वयं	प्रति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹१५३५/-	₹५५००/-	लाख७८।	लाख७८।	लाख७८।
ख	स्थावर आस्ति	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।	लाख८८।
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।
III.	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लाख८८। लाख९६। १५ लाख ८०	लाख८८। लाख९६।	लाख८८। लाख९६।	लाख८८। लाख९६।	लाख८८। लाख९६।
9	दायित्व					
	(i) सरकारी देय (कुल)	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।
10	दायित्व जो विवादग्रस्त हैं					
	(i) सरकार के देय (कुल)	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।	लाख९६।



रिक्त

बीस रुपये

भारत

Rs.20

रु.20

TWENTY
RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 486820

-10-

11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता:
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, के ब्यौरे दें। विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

मई 1977-78 बी.ए.डॉ शिक्षाशाली - अधिकारी संस्थान के लिए अधिकारी
उत्तर प्रदेश

(प्रधान नियन्त्रित विद्यालय विधायक वाराणसी 6/1986)

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि, इस शपथपत्र की अन्त्यवस्थ मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:-

(क) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 5 और मद 6 और भाग 'आ' में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है :

(ख) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 7 और मद 8 तथा भाग 'आ' की मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आक्रितों की कोई भी सम्पत्ति या दायित्व नहीं है।

..... 14/01 स्थान पर आज तारीख 17 को सत्यापित किया गया।

रामसेवक

..... मेरी वास्तविकता के हस्ताक्षर
..... at A.M./P.M. by मेरी

..... I declare by my hand that the above statement made by him/her in this affidavit are true.

- टिप्पणी :-
1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन, सायं 3.00 बजे तक फॉइल किया जाना चाहिए।
 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समझदार प्रधम वार्ता गुजिस्ट्रेट के समझदार, नोटरी, पर्लिक एवं समृद्धतापद ली जाना चाहिए।
 3. सभी स्तरों भरे जाने चाहिए और कोई स्तरों भरे जाने नहीं चाहिए। यदि किसी स्तर में कोई सूचना नहीं दी जाती तो, उसका विवरण जाना चाहिए।
 4. शपथपत्र या तो टकित होना चाहिए या ज्ञापनात्मक और स्पष्टता लिखित होना चाहिए।



R. B. Singh
Advocate/Notary
Allahabad

रामसेवक



33AA 486821

Annexure

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Bi-ennial Election to Uttar Pradesh Legislative Council from

Allahabad-Jhansi Teacher's Council Constituency

I.....राम सेवक.....(name of candidate),
son/daughter/wife of.....श्रीमती.....
aged.....62.....years, resident of.....46, देवरीनगर, उत्तर प्रदेश, 211103 (उपरी).....

a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath us under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at.....लोधी.....
.....(mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on.....१५.८.१३.....(the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

THE AFFIDAVIT is verified before me
Verified at.....14.....this the.....12.....day of.....July.....
I declare that the above affidavit is true to the best of my knowledge.
Signature.....
Name.....R.D. Singh
Address.....Advocate No. 12, Allahabad
Signature.....
Name.....R.D. Singh
Address.....Advocate No. 12, Allahabad

राम सेवक
DEPONENT
राम सेवक

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2
 प्रपत्र सं० 41ए (1)
 (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
 धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उप कोषागार / बैंक का नाम व शाखा

 - 1- जिस व्यक्ति (पद नाम यदि अरावश्यक हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम)
 - 2- पता

 - 3- पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम यदि संख्या (यदि आवश्यक हो)
 - 4- जमा की धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

 - 5- चालान की सकल राशि
 - 6- चालान की निबल राशि
 - 7- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा शीर्षक की मुहर

 - 8- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड
मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक

उप शीर्षक व्यौरेवार शीर्षक धनराशि (अंको में)

8	4	4	3	0	0	1	2	1	0	1	0	0	रु०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

धनाशि (शब्दो में)–

ASSISTANT RETURNING OFFICER
यालने में विभिन्न विधायिका संसदीकार समिति की पुष्टि करने वाले
ALLAHABAD-JHANSI DIVISION की पुष्टि करने वाले
TEACHERS विधायिका संसदीकार समिति की पुष्टि करने वाले
HRS समिति की पुष्टि करने वाले

योगा

10,000 - 00

Moreshchandra Nigan 
जमा कर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थी

चालान संख्या

अंको में रु0

सुरकारी बकद जहा

三 10000

2017

10 JAN 2011

भारतीय स्टेट बैंक, झाँसी

स्वास्थ्य प्रबन्धक (गोकुड)

संस्कृत विद्यालय काशी विश्वविद्यालय